

प्ररूप -I
(विनियम 10 देखिए)

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के अधीन नई किस्म, विद्यमान किस्म और कृषक किस्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

(धारा 18 देखिए, अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्म से भिन्न)

(आवेदन के लिए अनुदेश : जहां कहीं प्रश्नों के सामने बाक्स बना हो वहाँ कृपया सुसंगत बाक्स पर सही का चिह्न लगाएँ तथा अन्य प्रश्नों में स्पष्ट लिखित / टंकित उत्तर दें ।

1. आवेदकों का पहचान :

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| * व्यष्टिक प्रजनक | * कृषक समूह |
| * प्रजनक का उत्तराधिकारी | * उपरोक्त में से किसी का |
| * संस्थागत आवेदन | * समनुदेशिती ² |
| * कृषक समुदाय | * अभिसमय देश ³ |
| * कृषक समुदाय ¹ | * कोई अन्य ⁴ |

1. पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 में यथा अन्तर्विष्ट कृषकों या कृषक समुदाय या कृषक समूह द्वारा कृषक किस्म के बारे में आवेदन या तो संबंधित पंचायत जैव विविधता प्रबंध समिति द्वारा या जिला कृषि अधिकारी द्वारा या सम्बन्धित राज्य के कृषि विश्विद्यालय के निदेशक, अनुसंधान या जिला जनजाति किास अधिकारी द्वारा उपाबंध 1 में पृष्ठांकन करने पर ही प्रस्तुत किया जाएगा ।
2. समानुदेशी या आवेदक का विधिक प्रतिनिधि? नियम 27 के अनुसार आवेदन करने के अधिकार का अपेक्षित सबूत प्रस्तुत करेगा ।
3. भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना में आवेदन का देश भी आना चाहिए और भारत को ऐसे पारस्परिक विशेषाधिकार प्राप्त हैं (अधिनियम की धारा 31 देखिए)
4. सहभागी पौधा प्रजनन से विकसित सामग्री के लिए ऐसे दस्तावेज संलग्न कीजिए जो कृषक और पौधा प्रजनक के बीच किए गए व्यवहार को स्पष्ट से दर्शाए ।

आवेदक (आवेदकों) का / के नाम और राष्ट्रीयता

(क) (प्राकृतिक व्यक्ति की दशा में) : यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पंक्तियाँ डालें,

1. क्रम संख्या
2. नाम³
3. पूरा पता
4. राष्ट्रीयता

यदि आवेदक कृषक समुदाय या कृषक समूह का प्राधिकृत प्रतिनिधि है तो समूहके सभी सदस्यों या आवेदक का पहचान 'कृषक समुदाय' संलग्न हो तो समुदाय के प्रधान / पदाधिकारी द्वारा दो व्यक्तियों की उपस्थिति में हस्ताक्षरित प्ररूप तफ-१ में प्राधिकार संलग्न किया जाएगा ।

(ख) (विविध व्यक्ति की दशा में : जैसे फर्म या कम्पनी या संस्था)

नाम : -----

उसके मुख्यालय या स्थापन का पता : -----

(रजिस्ट्रीकृत कार्यालय) : -----

निगमन वर्ष : -----

लिखित क्या विधिक व्यक्ति आवेदक के पास पूँजी या प्रबंध में अभारतीय भागीदारी है :

हाँ

नहीं

यदि हाँ, तो राष्ट्रीयता बताएँ : -----

(ग) प्राकृतिक व्यक्ति, जो विधिक व्यक्ति का कर्मचारी हो, जो विधिक व्यक्ति का प्रतिनिधत्व करने के लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत हो (उदाहरण के लिए किसी कम्पनी का निदेशक या किसी फर्म का भागीदार) का नाम और पता लिखिए—

नाम : -----

पदनाम : -----

पता : -----

दूरभाष : -----

फैक्स : -----

ई-मेल : -----

3. उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे इस आवेदन से संबंधित पत्र भेजे जाने हैं (यदि आवश्यक हो, तो प्ररूप तफ - 1 में प्राधिकार संलग्न करें)।

नाम : -----

पता : -----

पिन : -----

दूरभाष : -----

फैक्स : -----

ई-मेल : -----

4. अभ्यर्थी किस्म की साधारण जानकारी

फसल का सामान्य नाम : -----

वनस्पतीय नाम : -----

कुल : -----

अभिधान (बड़े अक्षरों में) : -----

वनस्पतिया नाम से अंतराष्ट्रीय कृष्ट पौधा नामरण सहिता द्वारा अनुमोदित वैज्ञानिक का नाम अभिपित है ।

5. किस्म का प्रकार (पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण नियम, २००३ का अध्याय 3 देखिए)

नई किस्म

विद्यमान किस्म

कृषक किस्म

6. (क) अभ्यर्थी किस्म का वर्गीकरण :

प्ररूपिक किस्म⁵

संकर किस्म^{*}

टांसजेनिक

अन्य (विनिर्दिष्ट कीजिए)

5. प्रारूपिक किस्म से ऐसी किस्म अभिप्रेत है जो संकर नहीं है या अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्म नहीं है और पूर्व फसल उत्पादक चक्रों में यावृत्त प्रवर्धों का उपयोग करके सामान्यता प्रवर्धित की जाती है। (उदाहरणार्थ : जिसके अंतर्गत पैतृक परंपरार, संश्लेषित/समिश्रित किस्में या वनस्पतिक प्रवर्धित किस्में भी है ।)

* संकर न कि टांसजेनिक संकर की दशा में, खेती और बीज उत्पादन के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति के अनापत्ति प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि संलग्न कीजिए ।

(ख) सुभिन्नता, एकरूपता स्थिरता तत्व क्या हैं जिनके आधार पर रजिस्ट्रीकरण चाहा गया है। समूह लक्षणों को सविस्तार बताइए (ब्यौरे के लिए विनिर्दिष्ट दिशानिर्देश देखिए) तकनीकी प्रश्नावली पूरे विवरण सहित संलग्न कीजिए जो मुहर सहित सभ्यकतः हस्ताक्षरित हो ।

(ग) यदि नई किस्म टांसजेनिक है तो पर्यावरण और वन मंत्रालय का 'जैव' सुरक्षा अनापत्ति प्रमाणपत्र संलग्न कीजिए ।

7. प्रजनक/प्रजनकों का नाम और पते जिसमें /जिन्होंने अभ्यर्थी किस्म⁶ को प्रजनित किया है ।

नाम : -----

पता : -----

दूरभाष : -----

दूरभाष : -----

फैक्स : -----

ई-मेल : -----

राष्ट्रीयता : -----

एक से अधिक प्रजनकों की दशा में, उपरोक्त प्रपत्र में सभी नामों का (ii), (iii) इत्यादि के रूप में उल्लेख कीजिए । यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाएँ । यदि किस्म को कृषकों के समूह या समुदाय द्वारा विकसित और संरक्षित किया गया है तो उसका पृष्ठांकन उपाबंध 1 में किया जाएगा ।

8. (क) अभिसमय देशों में या अन्य देशों में अभ्यर्थी किस्म के बारे में किए गए अन्य पूर्वतर आवेदनों का विवरण (यदि लागू हो तो):

किस्म अभिधान : -----

आवेदित अधिकार की प्रकृति : पौधा प्रजनक के पेटेन्ट अधिकार

फाइल करने की तिथि : -----

(साक्ष्य संलग्न करें) : -----

देश का नाम : -----

प्राधिकरण का नाम : -----

आवेदन संख्या : -----

आवेदन की स्थिति : -----

विचाराधीन अनुमोदित नामंजूर

(यदि आवश्यक हो तो हर लागू देश के लिए उपर्युक्त को दोहराएँ और अतिरिक्त पन्ना लगाएँ)

(ख) यदि उक्त अभिधान की अभ्यर्थी किस्म के सबसे पहले आवेदन के संबंध में अब पूर्विकता मांगी जाती है (यदि लागू हो)

अभिधान⁸ :-----

स्रोत : -----

प्राधिकार-पत्र

संलग्न

संलग्न नहीं

⁸ स्रोत पर प्रयुक्त किए गए अभिधान को नहीं बदलना चाहिए। स्रोत संबंधी सूचना में प्रजनक का नाम या संस्था या कृषक या कृषक समुदाय का नाम जिसने पैतृक परंपरा को प्रजनित किया और पोषित किया। अतिरिक्त लागू पैतृक परंपरा के लिए उपर्युक्त जानकारी दोहराएँ।

(ख) बताएँ संकर के बार-बार प्रवर्धन के लिए पैतृक परंपरा के रूप में यदि किसी कृषक किस्म का या सामान्य ज्ञान की किस्म का लोक क्षेत्र की किस्म का प्रयोग किया जाता है :

हाँ

नहीं

यदि हाँ तो निम्नलिखित विवरण दें :

अभिधान:

भौगोलिक स्रोत :

सहज गुणों के ब्यौरे (उद्भव) :

स्वामी कृषक / ग्राम समुदाय / संस्था / संगठन का ब्यौरा

(ग) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, २००१ उन कृषकों को फायदों का हिस्सा पाने को सुगम बनाता है जिन्होंने आनुवंशिक संसाधन को संरक्षित किया है जिससे किस्म के विकास में योगदान मिला है। इस विशिष्ट मामले में आवेदक ने किस प्रकार की कृषक / समुदाय मान्यता की योजना बनाई है ?

11. किस्म या संकर की व्युत्पत्ति में यदि, विदेशज जनन द्रव्य का प्रयोग किया गया है तो विवरण दीजिए :

12. आवेदन फीस और सुभिन्नता, एकरूपता स्थिरता परीक्षण शुल्क के संदाय का विवरण⁹

फीस राशि -----रु

(केवल -----रुपए)

मांगदेय ड्राफ्ट सं. और तारीख : -----

बैंक और शाखा का नाम जिससे मांगदेय ड्राफ्ट आहरण किया गया है:-

⁹ इस आवेदन के स्तंभ 1 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रमाणीकरण के अनुसार प्रस्तुत कृषकों, कृषक समूह और कृषक समुदाय के आवेदनों पर सुभिन्नता, एकरूपता स्थिरता, परीक्षण फीस संदाय करने से छूट हैं ।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

घोषणा

मैं / हम उपरोक्त अभिधान सहित अभ्यर्थी किस्म के रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए आवेदन करता हूँ / करते हैं और मैं / हम पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 तथा इस आवेदन से संबंधित उसके नियमों से परिचित हूँ / हैं ।

मैं / हम घोषित करता हूँ / करते हैं कि इस आवेदन में वर्णित व्यक्ति / व्यक्तियों से भिन्न कोई व्यक्ति अभ्यर्थी किस्म के प्रजनन, या खोज का विकास में शामिल नहीं रहा है ।

मैं / हम घोषित करता हूँ / करते हैं कि अभ्यर्थी किस्म पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 की धारा 29 की उपधारा (3) का अनुपालन करती है।

मैं / हम घोषित करता हूँ / करते हैं कि मैंने / हमने इस किस्म के उक्त अभिधान के लिए या किसी व्यापार चिह्न के लिए आवेदन नहीं किया है या प्राप्त नहीं किया है।

मैं / हम पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अनुपालन में एक शपथ पत्र संलग्न करता हूँ / करते हैं ।

मैं / हम घोषित करता हूँ / करते हैं कि उपरोक्त अभ्यर्थी किस्म के रजिस्ट्रीकरण के इस आवेदन में दी गई जानकारी जिसके अंतर्गत उपाबंध और सभी सहायक दस्तावेज भी है, मेरे हमारी सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार पूर्ण, सत्य और सही है और कोई भी जानकारी जानबूझकर छिपाई नहीं गई है ।

मैं / हम घोषित करता हूँ / करते हैं कि मैं / हम पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के सभी उपबंधों तथा दिशानिर्देशों का पालन करूँगा / करेंगे।

स्थान : -----

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख : -----

मुहर

¹⁰ जहां कहीं आवेदक एक से अधिक हैं वहां हर आवेदक को हस्ताक्षर करने होंगे। प्राधिकारी आवेदक या समनुदेशितियों के द्वारा आवेदन की दशाम¹⁰ इस प्रकार प्राधिकृत या समनुदेशित व्यक्ति अपने हस्ताक्षर करेगा / करेंगे ।

आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्नक (सम्यक रूप में हस्ताक्षरित और मुहर सहित) प्रस्तुत हैं :

(ध्यान दीजिए कि जहां कहीं हस्ताक्षर आवेदन या संलग्नक में किए गए हैं वहां ऐसे सब हस्ताक्षर मूल रूप में होंगे):

(क) पूरा आवेदन :

(ख) कृषक किस्म की दशा में उपाबंध में पृष्ठांकन :

(यदि लागू हो तो स्तंभ 1 के अनुसार)

(ग) प्ररूप तफ 1 में प्राधिकार का दस्तावेज (यदि लागू हो) :

(घ) प्ररूप तफ 2 में समनुदेशन का दस्तावेज (यदि लागू हो) :

(ङ) ऊपर दिए गए (ख) और (घ) की पुष्टि में दस्तावेज (यदि लागू हो) :

(च) यदि शपथपत्र की टर्मिनेटर प्रौद्योगिकी और अनुवांशिक प्रयोग निर्बंधन प्रौद्योगिकी अन्तर्वलित नहीं है :

(छ) फाइल करने की तारीख को दस्तावेज की प्रतिलिपि (यदि लागू हो तो स्तंभ 8क के अनुसार)

(ज) करार पत्र की प्रतिलिपित (यदि लागू हो तो 10क के अनुसार)

(झ) अभ्यर्थी किस्म की तकनीकी प्रश्नावली (संलग्न)

(ड) यदि आवेदक उत्तराधिकार या रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने के अधिकार के समनुदेशन के फलस्वरूप आवेदक हैं तो पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

की धारा 18 की उपधारा (3) में यथा अनुबंधित आवेदन करने का अधिकार दर्शित करने का सबूत संलग्न करें ।

- (ट) अभिसमय देश आवेदक की दशा में, संलग्नक के रूप में पहली बार फाइल करने के संबंध में महत्वपूर्ण लक्षण में परिवर्तन संबंधी पूरा विवरण संलग्न करें :
- (ठ) अभिसमय देश आवेदक की दशा में, यह जानकारी दें कि क्या वह किस्म अभिसमय देश के भीतर या बाहर बेची जा चुकी है अथवा उसका अन्यथा व्ययन किया जा चुका है:
- (ड) ट्रांसजेनिक की दशा में, सुसंगत जननिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का अनापत्ति प्रमाणपत्र और अनुमोदन: और
- (ढ) फीस, जो लागू है

यदि आवश्यक समझें तो सुभिन्नता स्थापित करने के लिए विनिर्दिष्ट विशेषताओं के रंगीन चित्र संलग्न करें । कृपया आवेदन और हर दस्तावेज के बांये हाशिये में, हर पृष्ठ पर हस्ताक्षर करें ।

उपाबंध-1

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 के अधीन कृषक किस्म के रजिस्ट्रीकरण के आवेदन का पृष्ठांकन

1. आवेदक कृषक / कृषक समूह/ कृषक समुदाय का / के नाम

क्रमांक	उपनाम सहित नाम / समूह का नाम / समुदाय का नाम	स्थायी पता

2. अभ्यर्थी किस्म का अभिधान: -----

3.क (व्यष्टिक कृषक आवेदन को लागू

मैं घोषित करता हूँ कि मैं ----- राज्य सरकार के----- जिले में -----

स्थानीय निकाय/ पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांव -----

में पिछले अनेक वर्षों से स्थायी किसान रहा हूँ और मैं और मेरा परिवार

----- वनस्पतिक प्रजाति की -----

प्रकार (फसल का सामान्य नाम) प्रकार के अंतर्गत रूप में अभिधानित अभ्यर्थी किस्म के प्रारंभिक और

अनन्य विकासकर्ता तथा सतत् संरक्षक हैं ।

3ख (आवेदन कृषकों के समूह/समुदाय को लागू)

हम घोषणा करते हैं कि ----- राज्य के ----- जिले में
----- स्थानीय निकाय/पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांव ----- में
पिछले अनेक वर्षों से स्थयी किसान हैं और हम ----- वनस्पतिक प्रजाति की
----- फसल (फसल का सामान्य नाम) प्रकार के अंतर्गत रूप में अभिधानित अभ्यर्थी
किस्म के आरंभिक और अनन्य विकासकर्ता तथा सतत संरक्षक हैं ।

----- (नाम) पुत्री श्री ----- को जो आवश्यक कार्रवाई करने के लिए
हमारे समूह/ समुदाय का सदस्य है और ----- (पूरा डाल पता) का स्थायी निवासी है
तथा पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के अधीन हमारे पक्ष में अभ्यर्थी किस्म
का रजिस्ट्रीकरण करवाने के सीमित प्रयोजन के लिए हमारी होर से हस्ताक्षरकर्ता होंगे ।

तारीख : -----

स्थान : -----

कृषक या समूह / समुदाय के प्राधिकृत
व्यक्ति के हस्ताक्षर और उसका नाम
(पृष्ठांकन करने वाले पदाधिकारी के
समक्ष हस्ताक्षर किए जाए)

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त अभ्यर्थी किस्म आवेदक कृषक/कृषक समूह/कृषक समुदाय द्वारा ही
जो उपरोक्त गांव के स्थायी निवासी हैं प्रजनित / विकसित ओर निरंतर संरक्षित हैं तथा उसकी खेती की
जाती है और मैं आवेदन कृषक / कृषक समूह या समुदाय से पूरी तरह परिचित हूँ तथा यह कि अभ्यर्थी
किस्म उनके प्रयासों से ही है। (विकल्प के रूप में दिए गए अवांछित शब्दों को काट दीजिए)

तारीख : -----

स्थान : -----

हस्ताक्षर -----

नाम -----

संबंधित पंचायत जैव विविधता प्रबंध समिति
का अध्यक्ष / सचिव अथवा संबंधित जिला कृषि
अधिकारी अथवा संबंधित राज्य के कृषि विश्वविद्यालय के
अनुसंधान निदेशक अथवा संबंधित जिला जनजातीय विकास अधिकारी
(पदीय रबड़ मुहर सहित)